अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

तारीख पेशी	हुक्म या कार्यवाही मय हस्ताक्षर	नम्बर व तारीख अहकाम जोइस हुक्म की तामील जारी हुए
10.8.20	2020/09/09 श्री सीताराम रावत श्री श्रीमती लक्ष्मी देवी बनाम हरी उर्फ सोहन वगैरह पत्रावली वास्ते आदेश प्रार्थना पत्र स्थगन पेश हुयी। दिनांक 27.07.2020 को प्रार्थना पत्र पर अभिभाषक अपीलांट को सुना गया। अभिभाषक अपीलांट ने दौराने बहस निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद्र के समक्ष अपीलार्थी/प्रार्थी के विरूद्ध रेस्पोडेन्ट संख्या 01, 2 /वादीगण ने राजस्व वाद के साथ अस्थायी निषेधाज्ञा बाबत् प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज.काश्तकारी अधिनियम 1955 का प्रस्तुत कर कथन अंकित किये कि विवादित खाता संख्या 362/317 व खाता संख्या 361/316 से बने खसरा नम्बरान की प्रार्थियागण एवं अप्रार्थीगण की सहखातेदारी/सह काश्तकारी की पुश्तैनी भूमि है, जो ग्राम फारकिया में अवस्थित है। उपरोक्त आराजीयात प्रार्थीगण के दादा मेन्दू पुत्र भूरा की पुश्तैनी खातेदारी काश्तकारी की आराजीयात थी जिसको अप्रार्थी संख्या 01 प्रार्थियागण की माता के फौत होने के पश्चात दिनांक 09.12.2019 एवं 20.12.2019 को किया गया दानपत्र प्रार्थियागण के हितो पर बातिल एवं बेअसर है एवं उपरोक्त आराजीयात में प्रार्थियागण को हिस्से अनुसार उपरोक्त आराजीयात का खातेदार काश्तकार उद्घोषित किया जावें एवं तब तक अप्रार्थीगण संख्या 01 को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावें वे प्रार्थियागण के कब्जे काश्त में दखलदांजी व मदाखलत उत्पन्न ना करें। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 10.12.2019 को एक तरफा सुनवाई करते हुए आगामी तारीख पेशी तक रेकार्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखने का आदेश पारित किये है। जिससे व्यथित होकर एवं असंतुष्ट होकर अपीलांट ने यह अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की है। अभिभाषक अपीलांट ने आगे बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद द्वारा दिनांक 10.12.2019 को आदेश पारित करते समय इस विधिक बिन्दू को नजरअंदाज किया कि वर्तमान अपीलांटगण के पक्ष में दानपत्र उप–पंजियन कार्यालय, श्रीनगर में निष्पादित करते हुए अपीलांटगण को कब्जा सुपुर्द किया गया तथा उक्त आराजी पर काबिज काश्त चले आ रहे हे।अधीनस्थ न्यायालय द्वारा एक तरफा आदेश राजस्व रेकार्ड एवं मौके की यथास्थिति का आदेश अपीलांट को सुनवाई का अवसर दिये बिना पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय के आदेश की आड़ में रेस्पोडेन्टस, अपीलांट को मौके पर दखल बाधा कारित करते हुए बेदखल करने पर आमादा एवं अग्रसर है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश वर्तमान अपीलांट को बिना सुनवाई किए ही पारित किये है जिसकी जानकारी दिनांक 05.07.2020 को पटवार हल्का के पास दानपत्र का नामानतरण के लिए खुलवाने की बात करने पर हुई। जानकारी से अपील अन्दर मियाद प्रस्तुत की जा रही है। प्रथम दृष्टया प्रकरण एवं सुविधा का सन्तलन अपीलांट के पक्ष में है। न्यायालय हाजा से अनुरोध है कि प्रार्थना पत्र स्थगन किया जाकर अधीनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक 10.12.2019 की पालना एवं प्रभाव का स्थगित फरमाये जाने के आदेश प्रदान करावें अथवा अधीनस्थ न्यायालय के आदेश को निरस्त करते हुए, प्रकरण में अपीलांट को सुनवाई का अवसर देने हेतु अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जावें। अभिभाषक अपीलांट की बहस पर मनन किया गया एवं प्रस्तुत प्रार्थन पत्र व अपीलाधीन आदेश की प्रति व अपील मीमो का अवलोकन किया गया। हम सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम का निस्तारण करना उचित समझते है। अभिभाषक अपीलांट ने अपने प्रार्थना पत्र में कथन किया कि अपीलांट अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 10.12.2019 वर्तमान अपीलांट को बिना सुनवाई किए ही पारित किये है जिसकी जानकारी दिनांक 05.07.2020 को पटवार हल्का के पास दानपत्र का नामानतरण के लिए खुलवाने की बात करने पर हुई। दिनांक 10.12.2019 की जानकारी होने पर अधीनस्थ न्यायालय से आदेश की नकल दिनांक	

[redacted]

FORM NO III APP-A

फर्द अहकाम Crim-1

(नियम 26)

अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

लक्ष्मी देवी वगैरह बनाम हीरे उर्फे सोहनी वगैरह

किस्म मुकदमा 225 आर.टी. नम्बर 1091 सन् 2020 (नाग)

202000109

तारीख	हुक्म या कार्यवाही मय हस्ताक्षर	नम्बर व तारीख अहकाम जोइस हुक्म की तामील जारी हुए
पेशी	श्री सीताराम राजा	
लगातार	07.07.2020 को प्राप्त कर अविलम्ब अपील प्रस्तुत की गयी है। अपील में देरी क्षमा किये जाने योग्य है। प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अपील अन्दर मियाद शुमार किये जाने के आदेश प्रदान करावें। पत्रावली के अवलोकन से अभिभाषक अपीलांट के कथन संतोजनक प्रतीत होते है। हम न्यायहित में अपीलांट के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम को स्वीकार कर अपील को अन्दर मियाद शुमार करना न्यायोचित एवं आवश्यक समझते है। अतः अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम को स्वीकार किया जाता है तथा अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है। अपीलांट का मुख्य कथन यह है कि अपीलांटगण के पक्ष में रेस्पोडेन्ट संख्या 01 मेन्दू पुत्र भूरा द्वारा दिनांक 20.12.2019 को किया गया दानपत्र की जानकारी रेस्पोडेन्टस को थी। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा दिनांक 10.12.2019 को आराजी मुतनाजा पर प्रार्थीगण को उसके हक हिस्से की भूमि से महरूम नहीं करे, राजस्व अभिलेख व मौके की यथास्थिति बनायी रखी जाने के आदेश दिये है। कोई आपत्ति हो तो आगामी तारीख पेशी पर प्रस्तुत करें। अपीलांट को अधीनस्थ न्यायालय के उक्त आदेश की जानकारी होने पर अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर अपना जवाब प्रस्तुत कर अपना पक्ष प्रस्तुत करना चाहिए था जो उनके द्वारा नहीं किया गया एवं अपीलांट अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं होकर यह अपील न्यायालय हाजा में प्रस्तुत की है। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज.काश्तकारी अधिनियम का अंतिम निस्तारण तो अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बाद साक्ष्य व सुनवाई के किया जाना है। न्यायहित में व पक्षकारान के समय तथा आर्थिक व्ययता को मध्यनजर रखते हुए अपील को आंशिक स्वीकार कर, प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना उचित समझते हैं। अतः अपील अपीलांटस आंशिक स्वीकार की जाती है तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे प्रकरण में अपीलांटस एवं उभयपक्षकारान को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए एवं प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज0काश्तकारी अधिनियम का गुणावगुण पर निस्तारण उक्त आदेश से 30 दिवस में आवश्यक रूप से करें। आदेश की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को भिजवायी जावें। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हों। राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर	